| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व<br>अहक<br>हुक्म<br>में ज |
|---|---|---|
| | खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी लूणी )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 74 / 2019 | |
| 29.05.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.03..19 में उसके द्वारा (1) श्रीमान उपखण्उ अधिकारी महोदय लूणी जिला जोधपुर की गाड़ी नम्बर आरजे 19 यूए–6721 की लॉकबुक दिनांक 14.01.19 से 31.01.19 तक नियमानुसार प्रमाणित छात्रा प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( (उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |